जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी010483
पंजीकृत कार्यालय न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर-342003
फोन नं. 0291-2742232 फैक्स नं. : 0291-5106031
ईमेल - caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक जोविविनिलि/मु.ले.अ.(ब. एवं रा.)/शा.राजस्व/प्रे. 2310 दिनांक 23/02/2017

"आदेश" 297

विद्युत कम्पनियों द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों में नगरीय उपकर की संग्रहित राशि सार्वजनिक रोशनी के बिलों की बकाया राशि के निस्तारण के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2016 को आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी । इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 16874 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । इसी क्रम में जोधपुर डिस्कॉम के संबंधित अधिकारियों को अनुपालना हेतु निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं–

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा जारी सार्वजनिक रोशनी के बिलों की बकाया राशि का मिलान करने हेतु दोनों विभागों का संयुक्त दल निम्नानुसार गठित किया जाता है:–
   –संबंधित अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम ।
   –संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी ।

अधीक्षण अभियंता उपर्युक्त संयुक्त दल की रिपोर्ट दिनांक 1.03.2017 तक अपने मुख्य लेखाधिकारी (ब. व रा.) को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे ।

2. सार्वजनिक रोशनी के विद्युत बिलों को सभी निकायों/परिषदों/पालिकाओं को नियत समय पर ही विद्युत बिल देना सुनिश्चित किया जावे जिससे कि निर्धारित अवधि 7 दिन में उसका सत्यापन हो सके ।

3. संदर्भित बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में बिना मीटर/बिना फेज वायर सार्वजनिक रोशनी का उपयोग नहीं किया जावेगा । अतः नगरीय निकाय से इस संबंध में आवेदन प्राप्त होते ही तुरंत प्रभाव से नये विद्युत कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित करें । साथ ही यदि उचित समय के भीतर संबंधित नगरीय निकायों से इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो बिना मीटर/बिना फेज वायर वाले सार्वजनिक रोशनी के विद्युत कनेक्शनों का संबंध विच्छेदित **(disconnect)** कर दिया जावे ।

4. विद्युत वितरण कम्पनियों के विवादित बिलों के निपटान हेतु निम्नानुसार एक संवीक्षा समिति का गठन किया जाता है जिसकी अनुशंषा पर विद्युत वितरण कम्पनियों की सक्षम समझौता समिति द्वारा इन विवादित बिलों का नियमानुसार निपटारा किया जावेगा–
   –संबंधित सहायक अभियंता ।
   –आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपर्युक्त आदेशों की कठोरतापूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें ।

(आरती डोगरा),
प्रबन्ध निदेशक,
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

Scanned with CamScanner

तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता / संभागीय मुख्य अभियन्ता, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर जोन, जो.वि.वि.नि.लि.जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर ।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (................................), जो.वि.वि.नि.लि................................ आपके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों को आप द्वारा इस आदेश को प्रेषित करने का आग्रह किया जाता है ।
3. श्रीमान् वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर जोन, जो.वि.वि.नि.लि................... ।
4. श्रीमान् लेखाधिकारी (.....................), जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर ।

मुख्य लेखाधिकारी (बजट व राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

Scanned with CamScanner